रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218713 CG-DL-E-17032020-218713

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 145]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

सा.का.नि. 169(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 3, धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **कंपनी (निगमन)** दूसरा संशोधन नियम, 2020 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के अनुलग्नक में प्ररूप सं. आईएनसी-28 की क्रम सं. 5 में, खंड (क) में उप-खंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
- "(iii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया"।"

[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V, खंड. IV]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

1397 GI/2020 (1)

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और संख्यांक सा.का.नि. 128(अ), तारीख 18 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

G.S.R. 169(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of section 7 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the **Companies (Incorporation)** Rules, 2014, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the **Companies (Incorporation)** Second Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in the Annexure, in Form No.INC-28, in serial number 5, in clause (a) after sub-clause (ii), the following shall be inserted, namely.-
- "(iii) Section of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 under which order passed"."

[F. No. 1/13/2013- CL-V, Vol. IV]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and last amended *vide* number G.S.R.128 (E) dated the 18th February, 2020.